

तृतीय-अध्याय

**शोध प्रविधि
एवं प्रक्रिया**

अध्याय-3

शोध प्रविधि एवं प्रक्रिया

3.1 प्रस्तावना -

अनुसंधान कार्य में सही दिशा में अग्रसर होने के लिए आवश्यक होता है कि शोध की एक व्यवस्थित रूप रेखा हो। इसमें प्रतिदर्श के चयन की अपनी भूमिका होती है, एक अच्छा तथा उपयोगी प्रतिदर्श सम्पूर्ण समष्टि का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिदर्श जिसमें अधिक सुदृढ़ होगे परिणाम उतने ही परिशुद्ध, वैद्य एवं विश्वसनीय होंगे। इसके बाद उपकरण तथा चयन प्रविधि महत्वपूर्ण होती है जिसके आधार पर प्रदल्तों का संकलन किया जाता है प्रस्तुत अध्याय में शोध कार्य के संकल संपादन के लिए प्रतिदर्शों का विवरणवत् उपकरण प्रदल्तों का संकलन का वर्णन किया गया है।

3.2 व्यादर्श का चयन -

किसी भी अनुसंधान कार्य में प्रतिदर्श का चुनाव एवं उसकी संख्या महत्वपूर्ण पहलू होता है प्रस्तुत अध्ययन में समय सीमा का ध्यान रखते हुए प्रतिदर्श को उद्देश्यपूर्ण प्रकार से चयनित किया गया है, उसमें शोधार्थी के शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों प्रस्तुत शोधकार्य हेतु प्रतिदर्श का चयन के सरकारी तथा निजी स्कूल लिये गये हैं।

3.3. शोध प्रतिदर्श की विशेषताएँ -

1. इस शोध कार्य के अंतर्गत 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया।
2. प्रतिदर्श के रूप में कक्षा-11 वीं के विद्यार्थियों को चुना गया।
3. जिसमें 50 विद्यार्थी सरकारी स्कूल से हैं जिसमें छात्र एवं छात्राएँ हैं।
4. इसमें 50 विद्यार्थी निजी स्कूल से हैं जिसमें छात्र एवं छात्राएँ हैं।
5. कक्षा-11 के विद्यार्थियों को इसलिए चुना गया क्योंकि इस स्तर पर मौलिक कर्तव्यों की जागरूकता के बारे में दृष्टिकोण विकसित हो जाता है।

3.4 शोध संरचना-

प्रस्तुत शोध हेतु अध्ययन गुणात्मक अनुसंधान है प्रस्तुत शोधकार्य गुणात्मक रूप से सर्वेक्षक विधि के अंतर्गत आता है।

3.5 व्यादर्श -

शासकीय/अशासकीय विद्यालय के 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर प्रस्तुत अध्ययन किया गया। अशासकीय स्कूल एवं दो शासकीय स्कूल के 100 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है।

3.6 व्यादर्श का विस्तृत वर्णन -

व्यादर्श का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है-

तालिका सं.-31 शोध कार्य में चयनित प्रतिदर्श का विवरण

विद्यालय	छात्र	छात्राएँ	कुल
शासकीय	25	25	50
अशासकीय	28	22	50
कुल	53	47	100

3.7 शोध उपकरण -

मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता

प्रश्नावली का निर्माण शोधकर्ता द्वारा स्वयं किया गया। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्नों को शोधकर्ता द्वारा प्रारंभ में तैयार किया गया। कुल 13 प्रश्नावली को विशेषज्ञों द्वारा अंतिम रूप देकर कक्षा 11वीं के 20 विद्यार्थियों (छात्र व छात्राओं) को दी गई एवं यह जानने का प्रयत्न किया गया कि प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए जा रहे हैं। 20 विद्यार्थियों के द्वारा दिये गये उत्तरों में यह पाया गया कि कुल 4 प्रश्नों के उत्तर ही विद्यार्थियों द्वारा दिये गये। अतः अंतिम प्रश्नावली में केवल 4 प्रश्नों को ही सम्मिलित किया गया है जो परिशिष्ट-1 में दर्शाएँ गये हैं।

3.8 प्रदत्तों के संकलन की प्रक्रिया -

सर्वप्रथम शोधार्थी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में स्वयं जाकर प्रधानाचार्य एवं संस्था प्राचार्य से मिली और अपना परिचय दिया उन्हें आने का उद्देश्य बताकर लघु शोध प्रबंध विषय की जानकारी दी एवं शोधार्थी ने प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को प्रश्नावली दी गई और उन्हें बताया गया कि प्रस्तुत अध्ययन मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के बारे में है। उन्हें यह भी बताया गया कि प्राप्त जानकारी का उपयोग अनुसंधान कार्य में ही किया जायेगा तथा इसे गोपनीय रखा जायेगा। शोधकर्ता द्वारा प्रश्नावली भरने से पहले विद्यार्थियों को निम्न निर्देश दिये गये।

शोध उपकरणों के प्रशिक्षण के लिए 10 दिन का समय निश्चित किया गया था। अनुसंधानकर्ता द्वारा 11 जनवरी से 24 जनवरी के दौरान मैदानी कार्य फ़िल्ड वर्क किया गया अनुसंधानकर्ता ने प्रपत्रों की पूति स्वयं सब विद्यालय में जाकर दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य के साथ मौखिक चर्चा करने के बाद अनुमति प्राप्त की एवं कक्षा-11 वीं के विद्यालयों को प्रश्नावली से अवगत कराया गया आवश्यक निर्देश दिए गए।

कृपया सभी प्रश्नों का उत्तर दें।

1. यद्यपि समय सीमा नहीं है फिर भी आप शीघ्रता से पूर्ण करने का प्रयत्न करें।
2. कृपया प्रश्नानुसार उत्तर दीजिए हाँ एवं नहीं विकल्प के लिए (✓) का प्रयोग कीजिए एवं बिना विकल्प वाले प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

3.9 प्रदत्तों का विश्लेषण -

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी ने गुणात्मक विधि का उपयोग करते हुए शोध में दिए गए प्रदत्तों का विश्लेषण किया।